न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,सागवाडा,जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी– दिनेश कुमार गढवाल,आर जे एस

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या– 181/2022(सी.आई.एस.नं. 181/2022)

विकास पिता गुलाब उम्र 31 वर्ष निवासी इन्द्रा कॉलोनी, सागवाडा हाल निवास हाउसिंग बोर्ड, सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

.... प्रार्थी–अभियुक्त

(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नं 376/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्त की जाति अंकित नहीं की गई है)

बनाम

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक सागवाडा, जिला डूंरगपुर

......विपक्षी–अभियोगी

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता
बाबत एफ.आई. आर. संख्या 190/2022 पुलिस थाना सागवाडा
अन्तर्गत धारा– 8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री मुनीर शहजाद, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री आजाद शाह –विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य

:: आदेश :: दिनांक 05.08.2022

1. प्रार्थी–अभियुक्त विकास की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2022 को पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई।

2. प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मुलजिम न्यायिक अभिरक्षा में है। उसे इस प्रकरण में झूठा फसाया गया है, वह निर्दोष है। उक्त प्रकरण में थानाधिकारी सागवाडा द्वारा मुकदमा कायम करनते समय धारा 50 एवं धारा 52 एन डी पी एस एक्ट के प्रावधानों की पालना नहीं की है जो प्रकरण को संदिग्ध बनाता है। उक्त प्रकरण में अभियुक्त से बरामदगी संदिग्ध है तथा बरामदगी विधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। मुलजिम से बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। विचारण में समय लगेगा। एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। इसलिए उसे जमानत का

लाभ दिया जावे।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

3. प्रार्थना पत्र पर दौराने मौखिक बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थना में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक/संबंधित थानाधिकारी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट में अभियुक्त से पूर्व सजायाबी/पूर्व प्रकरण दर्ज होने की निम्न रिपोर्ट पेश की हैः-

कम संख्या	अभियुक्त / प्रार्थी का नाम	एफ.आई.आर. नंबर मय थाना	अपराध धारा	न्यायालय का नाम	एफआईआर दर्ज दिनांक	गिरफ्तारी की दिनांक	पूर्व में जमानत पर छोडे जाने की दिनांक	वर्तमान स्टेज
1	विकास	283/19 पुलिस थाना सागवाडा	8/21, 8/29 एनडीपीएस एक्ट	-	-	18.07.2019	-	जैर ट्रायल

4. सुना गया। बहस में रखे गये तथ्यों पर मनन किया गया, केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.07.2022 को थानाधिकारी शैलेन्द्र सिंह पुलिस थाना सागवाडा ने एक पर्चा कायमी इस आशय का कायम किया कि दिनांक 20.07.22 को समय 08:47 पी एम पर मन थानाधिकारी शैलेन्द्रसिंह मय जाब्ता के संध्याकालीन गश्त व लोकल स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु थाने रवाना हो गश्त गोल चौराहा, नर्सरी मोड तरफ करता हुआ गलियाकोट मोड होकर गणपति मंदिर मोड पर गलियाकोट रोड पर नाकाबंदी शुरू करी व आने जाने वाले वाहनों को चेक कर रहा था कि तभी समय 09:05 पी एम पर गलियाकोट तरफ से एक मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिल लेकर आया जो पुलिस नाकाबंदी देख कर अचानक वापस मुडने लगा। जिस पर मोटरसाईकिल का अचानक वापस मुडना संदिग्ध प्रतीत होने से हमराही जाब्ते की मदद से मोटरसाईकिल चालक को रोका व उक्त व्यक्ति से अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विकास होना बताया व मोटरसाईकिल नंबर आर जे 12 सी एस 3134 होना पाया। विकास की गतिविधि संदिग्ध लगने से उसकी तलाशी लेनी आवश्यक है, मगर मौके पर कोई स्वतंत्र मौतबिर नहीं होने के कारण हमराह जाब्ते में से विरेन्द्र सिंह व भानुप्रताप सिंह कानि. को मौतबिर बनने हेतु पृथक पृथक नोटिस दिया जाकर लिखित में सहमति प्राप्त की। तत्पश्चात् नियमानुसार मन थानाधिकारी ने अपनी तलाशी मौतबिरान से लिवा कर विकास की तलाशी ली तो उसके पेन्ट की दाहिने जेब से एक प्लास्टिक की थैली

मिली। जिसके अंदर एक रजिस्टर के कागज में कुछ पदार्थ लपेटा हुआ था। जिस पर उक्त रजिस्टर के कागज को खोलकर देखा तो उसके अंदर मटमेले रंग का पाउडरनुमा पदार्थ पाया। जिस पर उक्त पदार्थ को सुंघा तो ब्राउन शुगर होना पाया। मुलजिम विकास ने भी ब्राउन शुगर होना बताया। मुलजिम से वैद्य कागजात के बारे में पूछने पर कोई वैद्य कागजात नहीं होना बताया। ईलेक्ट्रीक तराजु से वजन किया तो कुल 06.40 ग्राम ब्राउन शुगर होना पाई गई। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर, मय मुलजिम व जब्तशुदा सामग्री के थाने पर पहूंचे। वगैरा पर्चा कायमी पर थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर द्वारा प्रथम सूचना संख्या 190/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

5. प्रकरण में मुलजिम दिनांक 20.07.2022 से अभिरक्षा में चल रहा है। उसके विरूद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अपराध का गंभीर आरोप है। उसके संज्ञान कब्जे से कुल 06.40 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, जो अल्प मात्रा से अधिक व वाणिज्यिक मात्रा से कम होकर मध्यम मात्रा का मामला है। जिसको अपने कब्जे में रखने का कोई वैध लाईसेंस या परमिट मुलजिम के पास नहीं था। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। उक्त मुलजिम के विरूद्ध पूर्व में भी इसी प्रकृति का प्रकरण दर्ज है। प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। अतः हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाता हूॅं।

आदेश

6. फलस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त विकास पिता गुलाब उम्र 31 वर्ष निवासी इन्द्रा कॉलोनी, सागवाडा हाल निवास हाउसिंग बोर्ड, सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर, राजस्थान की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अनुसंधान पत्रावली लौटाई जावे।

--sd--

(दिनेश कुमार गढवाल)

7. आदेश आज दिनांक 05.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

--sd--

(दिनेश कुमार गढवाल)